न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

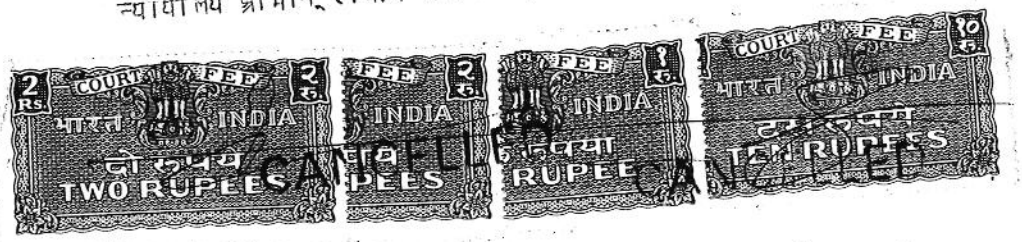

R - 732 - III/2008

Rs 15/-

...ज सिंह तनय गुलाब सिंह निवासी ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर थाना मगरा तह0 हुजूर जिला रीवा म.प्र. :------------ आवेदक

बनाम

1. तेज प्रताप सिंह तनय सूर्यपाल सिंह उम्र 65 वर्ष

(a) श्रीमती सोनिया देवी पत्नी स्व. श्री तेजप्रताप सिंह

(b) इन्द्रवली सिंह पुत्र स्व. श्री तेज प्रताप सिह

(c) चन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व. तेज प्रताप सिंह
निवासीगण – ग्राम पोस्ट लौवा लक्ष्मणपुर जिला रीवा

(d) श्रीमती ज्ञानी सिंह पत्नी शंकर सिंह पुत्री स्व. श्री तेजप्रताप सिंह
निवासी ग्राम पथरिहा पो. देवतालाब जिला रीवा

(e) श्रीमती ललिता सिंह पत्नी बद्री सिंह पुत्री स्व. श्री तेज प्रताप सिंह
निवासी ग्राम केल्हउरा पो. बरोधा जिला सतना

(f) श्रीमती अशोक सिंह पत्नी महीश सिंह पुत्री स्व. श्री तेज प्रताप सिंह
निवासी ग्राम बइरिहा पो. कुसुमी थाना बहरी जिला सीधी

(g) श्रीमती संतोष सिंह पत्नी प्रेम सिंह पुत्री स्व. श्री तेजप्रताप सिंह
...पो. बरोधा जिला सतना

14. (a) श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी स्व. श्री कामता सिंह

(b) संजय सिंह पुत्र स्व. श्री कामता सिंह

(c) राजीव सिंह पुत्र श्री कामता सिंह
निवासीगण – ग्राम लौवा लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा

15. (a) श्रीमती ममता सिंह पत्नी स्व. श्री सिपाही सिंह

(b) रमेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिंह

(c) पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिंह

(d) दिनेश सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिह

(e) नरेश सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिह

(f) तेज प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिह

(g) रोहित सिंह पुत्र स्व. श्री सिपाही सिह
निवासीगण – ग्राम पो. लौवा लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर निवासी रीवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 732-III/08 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–1–2016	निगरानी प्रकरण कमांक 732–तीन/08 राजस्व मण्डल में, अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 196/अ–27/05–06 में पारित आदेश दिनांक 19–05–08 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ । 2/ प्रकरण में पेशी दिनांक 4–11–15 को लिखे अनुसार 48 पक्षकार अनावेदक पक्ष में वर्तमान में हैं जिनमें से किसी को भी वर्तमान में नोटिस सर्व नहीं हो पाया है जबकि प्रकरण वर्ष 2008 से विचाराधीन है एवं अनेक बार नोटिस जारी हो चुके हैं । 3/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । मूल अनावेदक कमांक 1 तेजप्रताप ने तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान में कुल 4 मूल आवेदकों एवं निगराकार मणिराज सहित कुल 23 मूल अनावेदकों का नाम लिखते हुए (और मूल अनावेदक कमांक 2 के वारिसों का नाम साथ लिखते हुए) बंटवारे हेतु आवेदन लगाया था । तहसीलदार ने दिनांक 31–3–06 को निगराकार मणिराज द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ती यह लिखते हुए खारिज की कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक एफए76/06 में पारित आदेश दिनांक 27–1–06 से उनके न्यायालय के प्रकरण के प्रचलन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ है । माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश दिनांक 27–1–06 में यह लिखा है कि "अगली पेशी दिनांक तक, बंटवारा उपरान्त डिक्री के आधार पर कब्जा पक्षकारों को नहीं दिया जाए, हालांकि बंटवारे की कार्यवाही निरन्तर रहे" । तहसीलदार ने इस आधार पर प्रकरण प्रचलित रखते हुए अगली पेशी दिनांक 25–4–06 हेतु तय की ।	प

तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–3–06 के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 196/अ–27/05–06 मणिराज सिंह की ओर से दायर हुआ, जो आदेश दिनांक 25–3–08 से खारिज हुआ । इसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रकरण कमांक 640/निगरानी/07–08 मणिराज की ओर से प्रस्तुत हुआ, जो आदेश दिनांक 19–5–08 से अग्राह्य हुआ । इसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई है ।

4/ प्रकरण में गंभीरता के परीक्षण एवं विचार करने के उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि यह न्यायिक प्रकिया माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश दिनांक 27–1–06 के आधार पर प्रचलित है जो कि वहॉ की अगली पेशी तक के लिये था और जिसमें स्पष्टतः बंटवारे की प्रकिया निरन्तर रखे जाने के लिये लिखा था। निश्चित तौर पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27–1–06 के बाद प्रकरण में अन्य पेशियां लगाई होंगी, और यह भी संभव है कि प्रकरण का माननीय उच्च न्यायालय से अंतिम निराकरण अब तक हो गया हो । ऐसे में निगराकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की आगे की पेशियों के संबंध में या अंतिम निर्णय के संबंध में कोई जानकारी राजस्व न्यायालयों को नहीं देना, शंका एवं अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न करता है और न्यायिक वाद विलम्बित रखने के प्रयास की ओर इशारा करता है ।

5/ वैसे भी तहसील, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त तीनों के प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष है, एवं 2008 से लेकर अभी तक गैर निगराकारें को सेवित नहीं हो पाए हैं जिनकी संख्या अब लगभग 48 हो चुकी है ।

6/ इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय की नस्ती के पृष्ठ 23 पर अवस्थित सजरा खानदान में निगराकार मणिराज मूल व्यक्ति

शंकरसिंह की चौथी पीढ़ी के विभिन्न वारिस में से एक वारिस होना लिखा है । अतः केवल मणिराज के आवेदन पर शेष हितबद्ध पक्षकारों के हितग्रहण की संभावना को विलम्बित रखना न्यायोचित नहीं लगता ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर मेरा यह समाधान हो गया है कि निगराकार मणिराज द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रकरण न्यायिक प्रकिया के माध्यम से विभिन्न अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के वैधानिक हितग्रहण की संभावना को विलम्बित रखने का प्रयास है । यदि उन्हें प्रकरण में वाकई में कोई अनुतोष इस न्यायालय से चाहिए होता, तो वे माननीय उच्च न्यायालय की आगामी पेशियों के रिकार्ड या उनके अंतिम निर्णय की प्रतियां उपलब्ध कराते । इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष भी है ।

8/ अतः यह निगरानी इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है ।

आदेश पारित ।

पक्षकार सूचित हो ।

रिकार्ड वापस हो ।

प्रकरण समाप्त ।

दा0द0हों ।

6.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य